

प्रारंभिक परीक्षा

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPP)

संदर्भ

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के पंजीकरण के समय उनके संस्थापक सदस्यों की पृष्ठभूमि का सत्यापन करने का निर्णय लिया है।

क्यों?

क्योंकि कई RUPPs निष्क्रिय या समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पंजीकृत बने हुए हैं, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में भीड़ बढ़ रही है और दुरुपयोग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं (उदाहरण के लिए, धन शोधन, कर चोरी, या नकली संगठन बनाना)।

पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) के बारे में -

- ऐसे राजनीतिक दल जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-29A के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन जिन्हें राज्य या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- विशेषाधिकार:
 - आयकर छूट के लिए पात्र।
 - चुनाव लड़े बिना भी कानूनी तौर पर राजनीतिक दान प्राप्त कर सकते हैं।
- सामान्य प्रतीक आवंटन: यदि वे किसी राज्य के प्रासंगिक विधानसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों के कम से कम 5% उम्मीदवार खड़े करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो वे सामान्य प्रतीकों के लिए पात्र हैं।
- संख्या:
 - 2025 तक, भारत में 2,800 से अधिक RUPPs हैं।
 - ADR के अनुसार, इनकी संख्या 2010 में 1,112 से बढ़कर 2019 में 2,301 हो गई—एक दशक में यह संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई।
- स्थिति:
 - भारत में पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों में से लगभग 97% गैर-मान्यता प्राप्त हैं।
 - अधिकांश राजनीतिक दल अनिवार्य वित्तीय रिपोर्ट और प्रकटीकरण दाखिल करने में विफल रहते हैं।

धारा 29A - राजनीतिक दलों का पंजीकरण -

- कोई भी संघ या व्यक्तियों का समूह राजनीतिक दल(पार्टी) के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में आवेदन कर सकता है।
- पार्टी के गठन के 30 दिनों के भीतर ECI को आवेदन किया जाना चाहिए।

आवश्यक विवरण:

- पार्टी का नाम।
- इसके ज्ञापन, नियमों और विनियमों की एक प्रति।
- पदाधिकारियों के नाम और विवरण।
- यह घोषणा की पार्टी के सदस्य भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।

सदस्यता आवश्यकताएँ: पार्टी के कम से कम 100 सदस्यों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

- शपथ पत्र दाखिल करना।
- उन्हें मतदाता के रूप में दर्शाने वाली मतदाता सूची के प्रमाणित अंश उपलब्ध कराना।
- अपने निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) की प्रतियां जमा करना।
- यह पुष्टि करना कि वे किसी अन्य पंजीकृत राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं।

राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के मानदंड -

- राज्य दल की मान्यता (निम्न में से कोई एक पूरा होना चाहिए):
 - 6% वोट + 2 विधानसभा सीटें
 - 6% वोट + 1 लोकसभा सीट (उस राज्य से)
 - विधानसभा सीटों का न्यूनतम 3% या 3 सीटें (जो अधिक हो)
 - राज्य को आवंटित हर 25 लोकसभा सीटों पर 1 सीट
 - राज्य में कुल वैध वोट का 8% (लोकसभा या विधानसभा), भले ही कोई सीट न जीती हो
- राष्ट्रीय दल की मान्यता (निम्न में से कोई एक पूरा होना चाहिए):
 - 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट + 4 लोकसभा सीटें
 - कुल लोकसभा सीटों का 2% (यानी 11 सीटें), लेकिन कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से
 - 4 या अधिक राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना

RUPP के साथ संरचनात्मक और कार्यात्मक मुद्दे -

- चुनावी निष्क्रियता: कई RUPP ने 2019 के बाद से एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, जो उनकी वास्तविक राजनीतिक मंशा पर सवाल उठाता है।
- वित्तीय पारदर्शिता का अभाव: 2013-2016 के बीच 5% से भी कम ने दान रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो खराब वित्तीय अनुपालन को दर्शाता है।
- कर छूट का दुरुपयोग: राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद कर छूट का लाभ उठाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा-13A का दुरुपयोग करना।
- सत्यापन योग्य उपस्थिति नहीं: कई पार्टियों के पास कोई कार्यात्मक कार्यालय या कर्मचारी नहीं हैं और वे RPA, 1951 की धारा-29A के तहत बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।
- चुनाव के समय वृद्धि: चुनाव के वर्षों के दौरान पार्टी पंजीकरण में तीव्र वृद्धि अक्सर अवैध दान या प्रॉक्सी उम्मीदवारों के दुरुपयोग का संकेत देती है।

स्रोत: [TOI](#)

ज्ञान भारतम मिशन

संदर्भ

संस्कृति मंत्रालय 'ज्ञान भारतम मिशन' का शुभारंभ 'पांडुलिपि धरोहर के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना' विषय पर पहली बार आयोजित होने वाले ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में करेगा।

ज्ञान भारतम मिशन क्या है?

- यह भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत की सुरक्षा और प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जिसमें संरक्षण, डिजिटलीकरण, छात्रवृत्ति और वैश्विक पहुंच को शामिल किया गया है।
- मुख्य विशेषताएं एवं उद्देश्य:
 - पहचान एवं दस्तावेजीकरण: पांडुलिपियों का राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण एवं सूचीकरण।
 - एक व्यापक राष्ट्रीय रजिस्टर का निर्माण।
 - संरक्षण एवं संवर्धन: नाजुक एवं दुर्लभ पांडुलिपियों का पुनरुद्धार।
 - पुस्तकालयों, मंदिरों, मठों और निजी संरक्षकों के साथ सहयोग।
 - डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग: एआई-संचालित उपकरणों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण।
 - राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी की स्थापना।
 - ज्ञान-सेतु एआई इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ।
 - अनुसंधान एवं छात्रवृत्ति: पांडुलिपियों का अनुवाद, व्याख्या और प्रकाशन।
 - शिक्षा में पांडुलिपि ज्ञान का एकीकरण।
 - क्षमता निर्माण एवं सार्वजनिक भागीदारी: विद्वानों एवं संरक्षकों को प्रशिक्षण देना।
 - सार्वजनिक सहभागिता के लिए सहयोगात्मक कार्यक्रम।
 - वैश्विक ज्ञान विनिमय: अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साझेदारी।
 - विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में -

- यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो भारत की प्राचीन पांडुलिपि विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण पर केंद्रित है।
- प्रारंभ: फरवरी 2003।
- मूल संगठन: यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के अधीन कार्य करता है, जो संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा है।
- उद्देश्य: इसका मुख्य लक्ष्य भारत की बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखना तथा शोधकर्ताओं और आम जनता दोनों के लिए पांडुलिपियों को आसानी से सुलभ बनाना है।

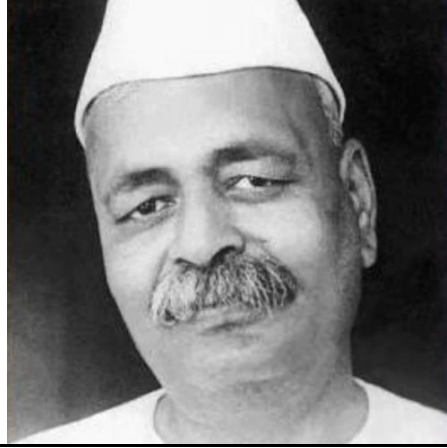
स्रोत: [पीआईबी](#)

गोविंद वल्लभ पंत

संदर्भ

पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती 10 सितंबर 2025 को मनाई गई।

गोविंद वल्लभ पंत के बारे में -



पहलू	विवरण
जन्म और प्रारंभिक जीवन	10 सितम्बर 1887 को खूंट, अल्मोड़ा (तत्कालीन संयुक्त प्रान्त, अब उत्तराखंड) में जन्मे।
शिक्षा और पेशा	इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया; वकील के रूप में काम किया; प्रारंभिक सक्रियता में ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और स्थानीय मुद्दों (जैसे कुली बेगार) में मदद करना शामिल था।
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका	कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी: सविनय अवज्ञा, नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, आदि। कई अवसरों पर जेल भी गए।
राजनीतिक करियर	- स्वतंत्रता से पहले (1946) संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री बने और फिर स्वतंत्रता के बाद (1950 से) उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। - बाद में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री नियुक्त किया गया (जनवरी 1955 से 1961 में उनकी मृत्यु तक)।
प्रमुख योगदान	- उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। - स्वतंत्रता के बाद के युग में राज्य प्रशासन को मजबूत करना। - हिन्दी (राजभाषा) का प्रचार-प्रसार, राष्ट्रीय एकता। - आंतरिक सुरक्षा, राज्य पुनर्गठन आदि के लिए नीतियों के निर्माण में भूमिका।
सम्मान	1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
मृत्यु	7 मार्च 1961 को गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए उनकी मृत्यु हो गई।

स्रोत: [लाइव हिंदुस्तान](#)

वेम्बनाड झील

संदर्भ

केरल की वेम्बनाड झील गंभीर पारिस्थितिक तनाव का सामना कर रही है।

पारिस्थितिक तनाव क्या हैं?

- **CWRDM के अध्ययन के अनुसार**, झील की हाउसबोट क्षमता (461) काफी अधिक हो चुकी है, वर्तमान में 954 हाउसबोट, 241 शिकारा, 404 मोटरबोट और 1,625 देशी नावें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं।
- **पर्यटन दबाव** → अनुपचारित सीवेज, डीजल प्रदूषण, और जल जमाव → पुन्नमदा के पास कोलीफॉर्म का स्तर 8,000 (खतरनाक रूप से उच्च) पर।
- मछली प्रजनन स्थलों के नष्ट होने तथा जलमार्गों पर लकजरी हाउसबोटों के एकाधिकार के कारण स्थानीय मछुआरों की आजीविका नष्ट हो रही है।
- **झील का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है** (1967 में 130.68 वर्ग किमी से घटकर 2011 में मात्र 3.29 वर्ग किमी रह गया; तथा अभी भी प्रतिवर्ष ~0.3 वर्ग किमी की कमी हो रही है)।
- **अतिक्रमण** (अवैध रिसॉर्ट, विला, मराडू फ्लैट्स, नेडियाथुरुथु विला जैसी ऊंची इमारतें) आर्द्रभूमि को नष्ट कर रहे हैं और जलमार्गों को अवरुद्ध कर रहे हैं।

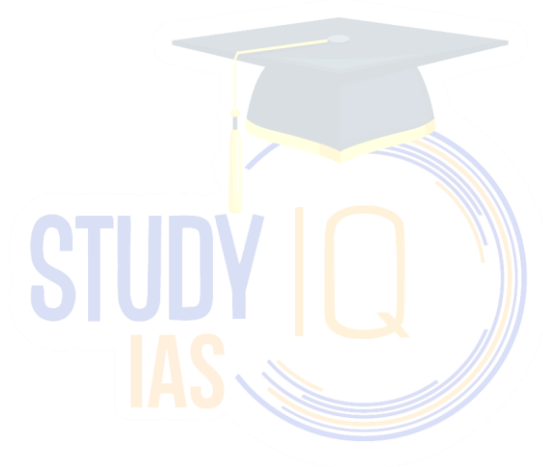
वेम्बनाड झील के बारे में -

- यह केरल में स्थित है और अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों से घिरी हुई है।
- यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और इसे 2002 में रामसर स्थल(Ramsar site) घोषित किया गया था। (पहला - सुंदरबन)
- रामसर साइट एक आर्द्रभूमि है जिसे आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसे 'आर्द्रभूमि सम्मेलन' के रूप में भी जाना जाता है।
- झील का स्रोत 4 नदियाँ हैं: मीनाचिल, अचंकोविल, पम्पा और मणिमाला।
- वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील है (96.5 किमी) केरल की सबसे बड़ी झील।
- प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ वेम्बनाड झील में आयोजित की जाती है।
- कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है।
- केरल का चावल का कटोरा कुट्टनाड वेम्बनाड झील के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- **झील के स्थानीय नाम:** वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पुन्नमदा झील आदि।
- **झील को खतरा:**
 - **प्रदूषण:** यह झील सीवेज नहरों, नदियों और अपवाह से उत्पन्न सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण से प्रभावित है। इसमें शहरी बस्तियों से निकलने वाले पोषक तत्व और चावल के खेतों से निकलने वाले कीटनाशक अवशेष भी शामिल हैं।
 - **भूमि पुनर्ग्रहण:** भूमि पुनर्ग्रहण के कारण झील ने अपने मूल क्षेत्रफल का 37% हिस्सा खो दिया है।
 - **नारियल की भूसी की सड़न:** नारियल की भूसी की सड़न से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
 - **पर्यटन:** रिसॉर्ट और आवासीय परिसर अपना कचरा नदी में बहा देते हैं, तथा कई हाउसबोटों में जैव-शौचालय नहीं होते हैं।

तथ्य -

- भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील – वुलर झील, जम्मू और कश्मीर
- भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील – चिल्का झील, उड़ीसा
- भारत की सबसे ऊँची झील (ऊँचाई) – चोलामु झील, सिक्किम
- भारत की सबसे लंबी झील – वेम्बनाड झील, केरल
- भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील – गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध)

स्रोत: [डीटीई](#)



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC)

संदर्भ

कोल इंडिया लिमिटेड और NSTFDC ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

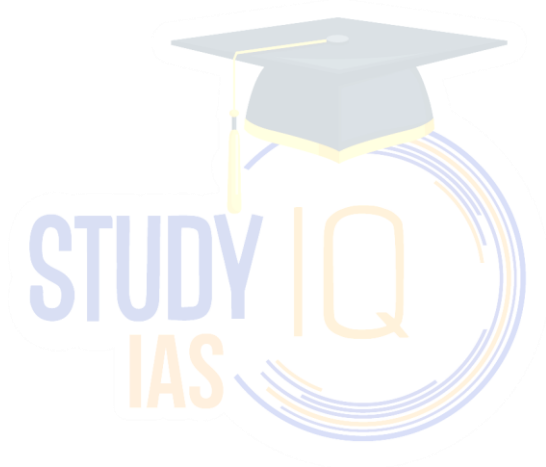
NSTFDC के बारे में -

- भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत 2001 में स्थापित।
- शासन
 - निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित।
 - प्रतिनिधित्व में शामिल हैं:
 - केंद्र सरकार
 - राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां (SCA)
 - NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक)
 - IDBI (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक)
 - TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड)
 - अनुसूचित जनजाति के 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- उद्देश्य:
 - अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक उत्थान।
 - आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
 - विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं डिजाइन और कार्यान्वित करना।
- कार्यान्वयन:
 - ऋण प्रदान करने के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) और बैंकों के माध्यम से कार्य करता है।
 - इसका लक्ष्य गरीब अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं, जिनकी आय सीमा सामान्यतः सीमित होती है (अधिकांश योजनाओं के लिए 3 लाख रुपये प्रति वर्ष)।

योजना	विवरण
सावधि ऋण योजना	प्रति इकाई 50 लाख रुपये तक की लागत वाली व्यवहार्य आय सृजन/स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए; परियोजना लागत का 90% तक वित्तीय सहायता।
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (AMSY)	केवल अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाएँ; लागत का 90% तक ऋण; रियायती ब्याज (~4% प्रति वर्ष)
स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए सूक्ष्म ऋण योजना	स्वयं सहायता समूह बनाने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए। प्रति स्वयं सहायता समूह ₹ 5 लाख तक की ऋण सीमा, प्रति सदस्य अधिकतम सीमा के साथ; रियायती ब्याज (~6% या उससे कम)

आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (ASRY) (शिक्षा ऋण)	अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा (पीएचडी सहित) प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता; रियायती/कम ब्याज; पाठ्यक्रम के दौरान ब्याज सब्सिडी + अधिस्थगन अवधि प्रदान की जाती है।
मार्जिन मनी सहायता योजना	विशेष रूप से स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत एसटी उद्यमियों को समर्थन देना; मार्जिन मनी (अर्थात परियोजनाएं शुरू करने के लिए आवश्यक पूंजी) आदि में सहायता करना।

स्रोत: [पीआईबी](#)



आगामी जनगणना के दौरान भवनों की जियो-टैगिंग

संदर्भ

भारत की अगली जनगणना में पहली बार पूरे भारत में सभी भवनों को जियो-टैग किया जाएगा।

समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- यह पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्व-गणना के विकल्प भी होंगे और 1931 के बाद पहली बार जातिवार गणना होगी।

जियो-टैगिंग क्या है?

- जियो-टैगिंग भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मानचित्र पर इमारतों के अक्षांश और देशांतर निर्देशांक को चिह्नित करने की प्रक्रिया है।
- यह पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक इमारत/संरचना के लिए एक डिजिटल स्थान पहचान बनाता है।
- प्रत्येक भवन को आवासीय, गैर-आवासीय, आंशिक रूप से आवासीय या ऐतिहासिक स्थल के रूप में विशिष्ट रूप से पहचानने और वर्गीकृत करने में सहायता करता है।
- यह कैसे होगा?
 - हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन्स (HLO) के दौरान – जनगणना का पहला चरण (अप्रैल-सितंबर 2026)।
 - गणनाकर्ता करेंगे:
 - अपनी निर्धारित हाउसलिस्टिंग ब्लॉक्स (HLBs) में इमारतों का दौरा।
 - डिजिटल लेआउट मैपिंग (DLM) उपकरणों का उपयोग।
 - मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से इमारतों का जियो-टैगिंग।
 - प्रत्येक HLB एक स्पष्ट परिभाषित इकाई है, जिसमें लगभग 120-150 घर शामिल होते हैं, ताकि व्यवस्थित कवरेज सुनिश्चित हो सके।

इससे क्या मदद मिलेगी?

- डेटा में सटीकता: घरों का सटीक मानचित्रण करने और दोहराव से बचने में मदद करता है।
 - घरों, परिवारों और जनसंख्या की सटीक गणना सुनिश्चित करता है।
- कुशल जनगणना कार्य: गणनाकर्ताओं का कार्यभार कम हो जाता है।
 - इससे प्रगति की बेहतर निगरानी संभव हो सकेगी।
- नीति एवं योजना लाभ: आवास और बुनियादी ढांचे पर अद्यतन जानकारी प्रदान करता है।
 - आवास की कमी का मानचित्रण करके कल्याणकारी योजनाओं (जैसे, पीएम आवास योजना-ग्रामीण और पीएमएवाई-शहरी) का समर्थन करता है।
- शासन उपयोग: जियो-टैग किए गए घरों का अन्य सरकारी योजनाओं और सर्वेक्षणों में पुनः उपयोग किया जा सकता है।
 - सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

विनोबा भावे

संदर्भ

11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

विनोबा भावे के बारे में -

- **प्रारंभिक जीवन:** 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के गागोडे में जन्मा।
 - भगवद् गीता और गांधीवादी दर्शन से गहराई से प्रभावित।
- **स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:** महात्मा गांधी के निकट सहयोगी; अक्सर उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं।
 - सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल गए।
 - भारत छोड़ो आंदोलन (1940) के दौरान प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही।
- **भूदान आंदोलन (1951):** तेलंगाना में जमींदारों को भूमिहीन किसानों को भूमि दान करने के लिए राजी करने हेतु शुरू किया गया।
 - “भूदान” = भूमि दान।
 - यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया → बाद में इसका विस्तार ग्रामदान (गांव का दान) और सम्पत्तिदान (धन दान) में हो गया।
 - 4 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि एकत्रित की गई, हालांकि पुनर्वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **दर्शन:** सर्वोदय (सभी का कल्याण), अहिंसा और सरल जीवन की वकालत की।
 - आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण और ग्रामीण उत्थान के प्रबल समर्थक।
- **सम्मान:** भारत रत्न से सम्मानित (1983 में मरणोपरांत)।
 - अपने नैतिक अधिकार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए “आचार्य” (शिक्षक) के रूप में सम्मानित।
- **मृत्यु:** 15 नवम्बर 1982 को महाराष्ट्र के पौनार आश्रम में निधन हो गया।



स्रोत: [पीआईबी](#)

समाचार संक्षेप में

आदि संस्कृति	समाचार? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आदि संस्कृति के बीटा संस्करण का अनावरण किया है। यह क्या है? ● यह विश्व का पहला जनजातीय डिजिटल विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य जनजातीय कलाओं और विरासत को संरक्षित, प्रोत्साहित और प्रसारित करना है, साथ ही जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर भी सृजित करना है। ● जरूरी भाग: ○ आदि विश्वविद्यालय: 45 पाठ्यक्रमों (नृत्य, चित्रकला, शिल्प, लोकगीत, संगीत) के साथ डिजिटल आदिवासी कला अकादमी। ○ आदि सम्पदा: 5,000 से अधिक संग्रहित दस्तावेजों (चित्रकला, नृत्य, वस्त्र, कलाकृतियाँ, आजीविका) के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार। ○ आदि हाट: जनजातीय कारीगरों के लिए ऑनलाइन बाजार (ट्राइफेड से जुड़ा हुआ), जिससे उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच संभव हो सके। ● कार्यान्वयन: 15 राज्यों के राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) के सहयोग से निर्मित। ○ जमीनी स्तर पर भागीदारी और प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है। स्रोत: पीआईबी
----------------------------	--

मुख्य परीक्षा

हिमालयी संकट के पीछे असली कारण क्या है – जलवायु परिवर्तन या अनियंत्रित विकास?

संदर्भ

हाल की बाढ़ों (पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) ने हिन्दूकुश हिमालयी क्षेत्र की नाजुक प्रकृति को उजागर किया। आधिकारिक तौर पर इन आपदाओं को “प्राकृतिक घटनाओं” (भारी बारिश, बादल फटने) के कारण बताया गया, लेकिन सबूत अनियंत्रित विकास, वनों की कटाई और खराब योजना की ओर इशारा करते हैं।

हिमालय की नाजुकता -

- हिमालय विश्व का सबसे युवा पर्वत है, जो भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर है तथा भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ के प्रति संवेदनशील है।
- ICIMOD के अनुसार, ये बादल फटने, हिमनद झील विस्फोट बाढ़(GLOF) और भूकंपीय गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
- जलवायु परिवर्तन से जोखिम और बढ़ गए हैं:
 - हिमालय का औसत तापमान वैश्विक औसत से अधिक तेजी से बढ़ रहा है।
 - बर्फबारी में कमी और बर्फ के तेजी से पिघलने की प्रक्रिया।
 - हिमालय की नदी घाटियों में 25,000 से अधिक हिमनद झीलें नीचे की ओर बाढ़ के खतरे को बढ़ाती हैं।

हिमालय में बढ़ती आपदाएँ -

- पंजाब बाढ़ (2025): 1988 के बाद से सबसे खराब, सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के अतिप्रवाह के कारण।
- कश्मीर और पाकिस्तान बाढ़ (2025): तीव्र वर्षा के बाद कम से कम 34 मौतें।
- उत्तराखंड (2025): बाढ़ के कारण हुए भूस्खलन से धराली गांव नष्ट हो गया।
- पिछली मिसालें: 2013 केदारनाथ बाढ़, 2021 चमोली आपदा।

विकास चुनौती -

- जलविद्युत एवं अवसंरचना परियोजनाएं:
 - हिमाचल प्रदेश: 1,144 जल विद्युत परियोजनाओं की योजना बनाई गई है (180 चालू, 53 निर्माणाधीन)।
 - उत्तराखंड: 40 संयंत्र चालू, 87 और की योजना बनाई जा रही है।
 - राजमार्ग, सुरंगें और पुल नाजुक ढलानों को काटते हैं, जिससे भूभाग अस्थिर हो जाता है।
- वनों की कटाई: सड़कों, होटलों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई।
 - हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ में तैरती हुई लकड़ियाँ, वनों की अंधाधुंध कटाई को रेखांकित करती हैं।
- पर्यटन में तेजी: होटल, होमस्टे और पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास → भूमि और निर्माण की मांग में वृद्धि।
- कमजोर पर्यावरणीय शासन:
 - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अक्सर खराब तरीके से किए जाते हैं या नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। परियोजनाएं वहन क्षमता अध्ययन या आपदा जोखिम आकलन के बिना आगे बढ़ जाती हैं।
 - विकास मॉडल मैदानी और महानगरीय क्षेत्रों से नकल किए जाते हैं, तथा पर्वतीय-विशिष्ट पारिस्थितिक सीमाओं की अनदेखी की जाती है।

हिमालय में अनियंत्रित विकास के परिणाम -

- **आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि:** बाढ़, भूस्खलन और बादल फटना आम बात हो गई है। निर्माण कार्य पहाड़ी ढलानों को कमजोर कर देते हैं, जिससे मध्यम वर्षा में भी उनके ढहने का खतरा बढ़ जाता है।
 - **उदाहरण:** उत्तराखंड में धराली गांव (2025) भारी बारिश के बाद भूस्खलन से नष्ट हो गया।
- **मृदा अपरदन और अस्थिरता:** वन आवरण की हानि से प्राकृतिक स्पंज प्रभाव समाप्त हो जाता है, जल अवशोषण कम हो जाता है और अपवाह बढ़ जाता है।
 - **उदाहरण:** देशी देवदार के पेड़, जो मिट्टी को बांधते हैं, काटे जा रहे हैं → मिट्टी ढीली चट्टानों में टूट जाती है → अधिक भूस्खलन।
- **हिमनद और जलविज्ञान संबंधी जोखिम:** तेजी से सड़क निर्माण, बाँध और जलविद्युत सुरंगों के निर्माण से हिमनद और नदियाँ प्रभावित होती हैं। हिमालय का बढ़ता तापमान → और अधिक हिमनद झीलों का निर्माण। अपर्याप्त रूप से नियोजित परियोजनाएँ हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के जोखिम को बढ़ाती हैं।
- **उच्च मानव हताहत:** इससे जीवन, आजीविका और विस्थापन की बार-बार हानि होती है।
- **स्थानीय आजीविका में व्यवधान:** कृषि, बागवानी और पशुपालन निम्नलिखित कारणों से प्रभावित होते हैं:
 - भूस्खलन/बाढ़ से कृषि योग्य भूमि का नुकसान।
 - नदियों में गाद जमने से सिंचाई प्रभावित हो रही है।
 - इसके अलावा, पर्यटन, जो आजीविका का एक स्रोत है, बाढ़ और भूस्खलन के कारण पर्यटकों के दूर चले जाने से असंतुलित हो जाता है।
- **राज्य के वित्त पर दबाव:** बार-बार होने वाली आपदाएं → सरकारें योजनाबद्ध विकास की तुलना में राहत और पुनर्निर्माण पर अधिक खर्च करती हैं।

आगे की राह -

- **सतत विकास योजना:** हिमालयी राज्यों को महानगरों की प्रतिकृतियों की नहीं, बल्कि अनूठे मॉडलों की ज़रूरत है। विकास में वहन क्षमता और स्थानीय पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान होना चाहिए।
- **पर्यावरणीय आकलन को सुदृढ़ बनाना:** अनुमोदन से पहले अनिवार्य स्वतंत्र EIA और आपदा प्रभाव अध्ययन।
- **प्रकृति-आधारित समाधान:** मृदा को स्थिर करने के लिए स्थानीय प्रजातियों के साथ वनरोपण को बढ़ावा देना। बाढ़ और भूस्खलन की रोकथाम के लिए पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित उपायों का उपयोग करना।
- **समुदाय-केंद्रित शासन:** आपदा तैयारी और संसाधन प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना।
- **सुरक्षित अवसंरचना विकास:** नाजुक ढलानों पर स्कूलों, अस्पतालों और महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण से बचना।
- **पर्यटन विनियमन:** पर्यटन केंद्रों में निर्माण कार्यों की कड़ी निगरानी। आर्थिक लाभों और स्थायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इको-पर्यटन को प्रोत्साहित करना।

जीएसटी 2.0 - सुधार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव

संदर्भ

भारत के जीएसटी में 2017 के बाद से सबसे बड़ा सुधार किया गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता लागत कम करना, मांग को बढ़ावा देना और त्योहारों के मौसम में विकास को प्रोत्साहन देना है — हालांकि इससे राजस्व हानि और राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ भी उठ रही हैं।

ओवरहाल की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **जटिल संरचना:** पहले, जीएसटी में कई स्लैब थे - 0%, 5%, 12%, 18%, 28% - और साथ ही क्षतिपूर्ति उपकर भी। इससे भ्रम, अनुपालन का बोझ और अक्सर विवाद पैदा होते थे।
- **क्षतिपूर्ति उपकर की समाप्ति:** उपकर लगाने का कानूनी प्रावधान (राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई के लिए उपयोग किया जाता है) 2025 में समाप्त हो रहा है। युक्तिकरण के बिना, तंबाकू जैसी कुछ "पाप वस्तुएं(sin goods)" अचानक सस्ती हो जातीं - जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य होतीं।
- **उपभोग बढ़ाना:** अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण, भारत को बाहरी झटकों से निपटने के लिए घरेलू मांग को बढ़ाने की आवश्यकता थी।
- **उपभोग को प्रोत्साहित करना:** पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने के साथ, सरकार गति को बनाए रखना चाहती है और बाद की तिमाहियों में मंदी से बचना चाहती है।
 - कम कर का मतलब है सस्ता सामान, जो उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है।
- **अगली पीढ़ी के सुधारों को बढ़ावा:** जीएसटी को सरल बनाना उद्योगों और राज्यों की लंबे समय से मांग थी।

जीएसटी संरचना में बड़े बदलाव -

- **नये स्लैब:**
 - **5%:** आवश्यक वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुएं (खाद्य पदार्थ, साबुन, शैंपू, ई.वी., छोटी कारें, कृषि उपकरण)।
 - **18%:** आकांक्षी वस्तुएं (टीवी, एसी, सीमेंट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, गैर-लक्जरी कारें, दोपहिया वाहन)।
 - **40%:** पाप वस्तुएं (तंबाकू, लक्जरी कारें, अति-विलासिता वस्तुएं)।

लाभान्वित होने वाले क्षेत्र

- **स्वास्थ्य सेवा:** कई चिकित्सा उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया → सस्ता उपचार।
- **बीमा:** व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को जीएसटी से छूट दी गई।
 - लेकिन बीमा कंपनियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट खो दिया है, जिससे उनकी लागत बढ़ सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** सौर/पवन घटकों पर कर कम (12% → 5%) → स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा।
- **रियल एस्टेट और निर्माण:** सीमेंट (28% → 18%), ग्रेनाइट और टाइल्स सस्ते → आवास लागत कम होती है।

चिंता वाले क्षेत्र

- **विमानन:** गैर-इकोनॉमी सीटों पर उच्च जीएसटी की एयरलाइनों द्वारा आलोचना की गई।
- **वनस्पति तेल क्षेत्र:** इनवर्टेड ड्यूटी की समस्या बनी हुई है।
- **एमएसएमई:** श्रम शुल्क पर अब 18% कर लगाया गया है (पहले यह 12% था), जिससे परिचालन की लागत बढ़ गई है।

जीएसटी में व्यापक बदलाव का आर्थिक प्रभाव -

अल्पकालिक प्रभाव

- **उपभोग को बढ़ावा:** रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कम जीएसटी → का मतलब है कम खुदरा कीमतें। अधिक प्रयोज्य आय के साथ, परिवार अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं, जिससे मांग पर गुणक प्रभाव पड़ता है।
- **मुद्रास्फीति में कमी:** खाद्य, चिकित्सा वस्तुओं और निर्माण सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी से मुद्रास्फीति का दबाव कम हो सकता है।
- **कुछ क्षेत्रों में व्यवधान:**
 - एयरलाइनों को डर है कि गैर-इकोनॉमी श्रेणी की सीटों पर अधिक जीएसटी से किराया बढ़ जाएगा और मांग प्रभावित होगी।
 - ऑटो डीलरों को चिंता है कि उपभोक्ता नई दौरे लागू होने तक (22 सितंबर से) खरीदारी में देरी करेंगे।

मध्यम अवधि का प्रभाव

- **सद्गुणी निवेश चक्र:** अधिक उपभोक्ता मांग → उद्योगों का उत्पादन विस्तार → अधिक नौकरियों का सृजन → उच्च घरेलू आय → पुनः अधिक मांग।
 - **उदाहरण:** सस्ता सीमेंट निर्माण लागत को कम करता है → आवास की मांग बढ़ती है → रियल एस्टेट और संबद्ध उद्योगों में नौकरियां बढ़ती हैं → अधिक आय और खर्च होता है।
- **बाहरी दबावों के बीच विकास को सहारा:** अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने से निर्यात प्रभावित हो सकता है। कम जीएसटी से समर्थित घरेलू खपत, वैश्विक झटकों से भारत की जीडीपी वृद्धि को सहारा दे सकती है।
- **हरित अर्थव्यवस्था के लिए प्रयास:** नवीकरणीय ऊर्जा घटकों पर कम जीएसटी से स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी आएगी, तथा आर्थिक विकास को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाएगा।

दीर्घकालिक प्रभाव -

- **अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण:** सरलीकृत जीएसटी स्लैब एमएसएमई के लिए अनुपालन बोझ को कम करते हैं, जिससे अधिक छोटी कंपनियां औपचारिक कर के दायरे में आ जाती हैं।
- **निवेश आकर्षित करना:** सरल और अधिक पूर्वानुमानित जीएसटी प्रणाली से भारत की व्यापार सुगमता रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- **संघ एवं राज्य सरकार के लिए राजकोषीय चुनौतियां:** क्षतिपूर्ति के बारे में राज्यों की चिंताएं केंद्र-राज्य संबंधों पर दबाव डाल सकती हैं, जब तक कि राजस्व-साझाकरण के लिए एक नया ढांचा विकसित नहीं किया जाता।
 - **केंद्र का अनुमान:** 48,000 करोड़ रुपये की राजस्व कमी।
 - **राज्यों की चिंता:** उन्हें 70% कमी का वहन करना पड़ सकता है; 40% स्लैब पर उपकर की मांग स्वीकार नहीं की गई।

चुनौतियाँ जो अभी भी बनी हुई हैं -

- **अभी भी कई दरें:** कटौती के बावजूद, बड़े अंतर बने हुए हैं (5% बनाम 18%)। इससे दरों का गलत वर्गीकरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर मुकदमेबाजी हो सकती है।
- **इनवर्टेड ड्यूटी ढांचा:** कपड़ा, जूते, ट्रैक्टर आदि जैसे कुछ क्षेत्रों में, इनपुट पर अंतिम उत्पाद की तुलना में अधिक कर लगाया जाता है। इससे अकुशलता बढ़ती है क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट अंतिम कर स्लैब से मेल नहीं खाते।
- **कैस्केडिंग टैक्स लागू रहेंगे:** पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी से बाहर रखा गया → परिवहन लागत में वृद्धि। इससे कैस्केडिंग प्रभाव पड़ेगा → कर पर कर → उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी।
- **मुद्रास्फीति संबंध कमजोर:** सीपीआई बास्केट का लगभग 50% जीएसटी से मुक्त है → कमी से मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण कमी नहीं आएगी।

आगे की राह -

- **एकल दर जीएसटी की ओर कदम:** वैट वाले 81% देश एकल दर लागू करते हैं। इससे विकृतियों से बचने और प्रशासन को सरल बनाने में मदद मिलती है।
- **जीएसटी का दायरा बढ़ाना:** पेट्रोलियम उत्पादों और कुछ छूट प्राप्त सेवाओं (जैसे, कानूनी शुल्क) को जीएसटी के दायरे में लाना। छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची कम करना।
- **राजस्व तटस्थता सुनिश्चित करना:** राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य की रक्षा करना। सूत्र-आधारित हस्तांतरण या अस्थायी राजस्व-साझाकरण समायोजनों पर विचार करना।
- **अनुपालन को मजबूत करना और आधार को व्यापक बनाना:** कर चोरी को रोकने के लिए डिजिटल उपकरणों (एआई-संचालित ऑडिट, ई-इनवॉयसिंग, जीएसटीएन डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग।
- **औपचारिकीकरण का विस्तार:** एमएसएमई और अनौपचारिक क्षेत्रों को सरल प्रक्रियाओं के साथ जीएसटी के दायरे में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **मेरिट गुड्स टैक्स को समायोजित करना:** उपभोग के साथ राजस्व आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए निचले स्लैब को 6-7% तक बढ़ाना।
- **प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना:** वैश्विक टैरिफ चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कर सुधार को व्यापक रणनीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

भारत का जीएसटी 2.0 सुधार एक अधिक निष्पक्ष और सरल कर प्रणाली की ओर एक साहसिक कदम है। यह उपभोग को बढ़ावा देगा, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ावा देगा और भारत को वैश्विक कर मानदंडों की ओर ले जाएगा। लेकिन सरकार को स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजस्व घाटे और राज्य-स्तरीय राजकोषीय दबावों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना होगा।

